न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

प्रभु खेरलाल बनाम सांवरमल

...ालय

...ा 123/17 धारा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
19/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 123/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक – 06.10.2017

प्रभू खैरवाल पुत्र श्री खीमाराम खैरवाल, उम्र 57 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारे आम श्री श्रवण पुत्र श्री बोदू, जाति अहीर, निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. सांवरमल पुत्र लच्छू
2. लालचंद पुत्र लच्छू
3. सोहनलाल पुत्र हनुमान
4. पप्पूलाल पुत्र हनुमान
5. पपूडीदेवी पत्नी पप्पूलाल
6. जोधाराम पुत्र बोदू
7. श्योजीराम पुत्र बोदू
8. शिम्भूदयाल पुत्र बोदू

   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

परिस्थिति :–

(1) श्री सुरेश चाहर – अधिवक्ता वादी की ओर से

(2) श्री बंशीधर जाट– अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 4, 5, 6, 7, 8 की ओर से

(3) श्री प्रभुसिंह राजावत – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.01.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम मुण्डिया, पटवार हल्का अनोपपुरा, भू0अभिलेख निरीक्षक जाहोता, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 160 रकबा 2.01 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में अंकित है। उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित कुल खसरा किता 1 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/12 भाग की खातेदारी मुख्त्यारकर्ता श्रवण पुत्र बोदू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त उल्लेखिता सारणी में वर्णित हिस्से की भूमि को मुख्त्यारकर्ता श्रवण पुत्र बोदू द्वारा वादी के हक में मुख्त्यारनामाआम दिनांक 02.08.2017 को तस्दीक किया हुआ है। जो मुख्त्यारनामा स्टॉम्प कीमती 500/– रूपये के एक व पेपर किता 3 पर लिखा हुआ है, जिस मुख्त्यारनामा आम को नोटरी पब्लिक श्रवण कुमार चौधरी, एडवोकेट के रजिस्टर क्रमांक 658/2017 दिनांक 02.08.2017 को प्रमाणित किया हुआ है। इस प्रकार से उक्त मुख्त्यारनामा आम दिनांकित 02.08.2017 के द्वारा वादी को न्यायालय आदि में मुकदमा पेश करने, पेरवी करने के हक व अधिकार प्रदान किये हुए है। जिन अधिकारों का उपयोग करते हुए वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिन उक्त भूमि को इस वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है। विवादित आरजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही विवादित आराजीयात् में निहित वादी के हक हिस्से एवं कब्जे की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, रोड, वगै0 डालने, भूखण्डों का बेचान हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई। जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 9 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेंट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रतिवादीगण की विधिवत तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 11.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, व 5 का समस्त हिस्सा विवादित आराजी में बाहमी–बँटवारा में मिन जवाबदाता के हक में है जिस पर अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 लगा 5 के समस्त रकबे पर इस खसरा में मिन जवाबदाता विशिष्ट भू–भाग पर काबिज काश्त है। जो वास्तविक व भौतिक रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 5 के हक में रखा जाकर विधिक विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 11 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वाद निर्णय के दौरान मन उत्तरदाता प्रतिवादी के यहां प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के हक–हिस्से एवं अधिकारों की भूमि रहन होने के आधार पर मन उत्तरदाता प्रतिवादी के हितों को मद्देनजर रखा जाए।

पत्रावली दिनांक 04.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम दुर्गा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर में पेश हुई। जहां कब्जे काश्त व मकानात के मध्येनजर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसील आमेर को फुर्रजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार आमेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई गई। तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुना गया।

उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी व प्रतिवादीगण ने तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद डिकी करने हेतू निवेदन किया। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. पप्पूलाल पुत्र हनुमान हि. 1/3 राहिन एसबीआई शाखा चौमूं पप्पूडी पत्नी पप्पूलाल हि. 1/3 राहिन बैंक एसबीआई शाखा चौमूं सोहनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/3 राहिन ओबीसी शाखा चौमूं जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 160/1 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग में दर्शाया गया है।
2. जोधाराम पुत्र बोदू हि. 1/8 श्योजीलाल पुत्र बोदू हि. 1/8 श्रवण पुत्र बोदू हि. 1/8 राहिन बैंक एसबीआई शाखा कालाडेरा शिम्भूदयाल पुत्र बोदू हि. 1/8 रामा पत्नी लच्छू हि. 1/6 लालचंद पुत्र लच्छू हि. 1/6 सांवरमल पुत्र लच्छू हि. 1/6 जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 160/2 रकबा 1.34 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **सुनील शर्मा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 123 / 2017

निर्णय दिनांक 19.01.2023

प्रभू खैरवाल पुत्र श्री खीमाराम खैरवाल, उम्र 57 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारे आम श्री श्रवण पुत्र श्री बोदू, जाति अहीर, निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. सांवरमल पुत्र लच्छू
2. लालचंद पुत्र लच्छू
3. सोहनलाल पुत्र हनुमान
4. पप्पूलाल पुत्र हनुमान
5. पपूडीदेवी पत्नी पप्पूलाल
6. जोधाराम पुत्र बोदू
7. श्योजीराम पुत्र बोदू
8. शिम्भूदयाल पुत्र बोदू

   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955</u>

निर्णय दिनांक 19.01.2023

सहायक ...
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 123/2017
बउनवानी – प्रभू खैरवाल बनाम सांवरमल वगै0
निर्णय दिनांक :– 19.01.2023

मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. पप्पूलाल पुत्र हनुमान हि. 1/3 राहिन एसबीआई शाखा चौमूं पप्पूडी पत्नी पप्पूलाल हि. 1/3 राहिन बैंक एसबीआई शाखा चौमूं सोहनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/3 राहिन ओबीसी शाखा चौमूं जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 160/1 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग में दर्शाया गया है।
2. जोधाराम पुत्र बोदू हि. 1/8 श्योजीलाल पुत्र बोदू हि. 1/8 श्रवण पुत्र बोदू हि. 1/8 राहिन बैंक एसबीआई शाखा कालाडेरा शिम्भूदयाल पुत्र बोदू हि. 1/8 रामा पत्नी लच्छू हि. 1/6 लालचंद पुत्र लच्छू हि. 1/6 सांवरमल पुत्र लच्छू हि. 1/6 जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 160/2 रकबा 1.34 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.1.2023 को जारी किया ।

दस्तखत ----
ओहदा ----

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मानामा			बबत इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित	4 रूपये	
मीजान	4 रूपये		मीजान		